cases of dacoity in residential premises and 4 cases of dacoity in banks in Delhi.

(b) During the same period there have been two cases of dacoity on the high-ways of Delhi.

(c) 20 of these 35 cases have been worked out and 98 persons arrested. Challans have been put in the court in 15 of these cases and the same are pending trial.

**Availability of Approach Paper to Press Correspondents**

1124. SHRI BISWA GOSWAMI:
SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA:
DR. SHANTI G. PATEL:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Information Officer attached to his Ministry distributed copies of the 'Approach Paper' to the Seventh Plan, 1985-90 which was discussed at the meeting of the National Development Council to some selected correspondents only;

(b) whether it is also a fact that this facility was denied to some other correspondents who asked for it; and

(c) if so, what are the reasons for this discrimination?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir. The documents 'Approach to the Seventh Five Year Plan 1985—90' was distributed to all accredited correspondents who attended the press conference addressd by the Union Minister of Planning after the NDC meeting on the 13th July, 1984 at 3.30 P.M. in Yojana Bhavan. The invitation to the Press Conference was extended to all the accredited correspondents. No copies of the document were distributed before the conference.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**मुरादाबाद दंगे सबन्धि न्यायिक जाच आयोग का प्रतिवेदन**

1125. श्री सत्य प्रकप्र मालवीय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1980 में मुरादाबाद में हुये सांप्रदायिक दंगों के कारणों का पता लगाने के लिये गठित न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब प्राप्त हुआ और इसके प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने इस जांच-आयोग को नियुक्त नहीं किया है । जांच-आयोग अधिनियम 6952 की धारा 3 की उप-धारा (4) में यह व्यवस्था है कि उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गये आयोग की यदि कोई रिपोर्ट है, तो उपयुक्त सरकार को इसे और इस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा, जो भी हो, के समक्ष आयोग द्वारा उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से छः महीने के अन्दर रखना होगी । इस प्रकार रिपोर्ट और उस पर की गई कारवाई को केवल संबंधित राज्य की विधान सभा के पटल पर रखना होगा ।

**उत्तर प्रदेश में ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे निकायों को विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के अधीन प्राप्त वित्तीय सहायता**

1126. **श्री सत्यप्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों, कालेजों